HIMACHAL ROAD TRANSPORT CORPORATION, SHIMLA-171003

No:Ho:4-5/JCC(9)/2012-13-Lab-II

From:

Managing Director,
HRTC, Shimla-3.

To

Shri Neel Kamal Gupta,
Secretary, HRTC Employees, J.C.C.,
through Incharge CBA, Shimla
ISBT, Tutikandi Shimla (H.P.)

Dated: Shimla-171003, the 26 th, April 2016.

Subject: **Proceeding of the meeting held on 24.12.2015 with the HRTC Employees Unions/Joint Co-ordination committee.**

Enclosed please find herewith a copy of proceeding of the meeting held on 22.04.2016 in the Chairmanship of worthy Managing Director with the HRTC Employees Unions/Joint Co-ordination committee, for information.

Encls:As above.

Managing Director
Himachal Road Transport Corporation,
Shimla-171003

Copy to:-

1. **The Special Private Secretary to the Hon'ble Transport Minister of H.P. for information.**
2. **The Additional Chief Secretary (Transport) to the Govt. of H.P. for information please.**
3. **The Director Transport to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-4 for information please.**
4. **The Sr. Private Secretary to the Managing Director, HRTC Shimla-03 for information please.**
5. **The Private Secretary to the Executive Director HRTC for information Please.**
6. **The General Manager, HRTC, Shimla-03 for information and necessary action.**
7. **The Financial Advisor & Chief Accounts Officer, Himachal Road Transport Corporation, Shimla-03 for information and necessary action.**
8. **The Divisional Manager (Traffic/HQ/IT/Tech.), Himachal Road Transport Corporation, Shimla-3 for information and necessary action.**
9. **The Regional Manager (Store/Legal), HRTC, for information and necessary action.**
10. **The Regional Manager, HRTC. Local Unit for information and necessary action.**

Managing Director
Himachal Road Transport Corporation,
Shimla-171003

परिवहन कर्मचारी संयुक्त समिति द्वारा प्रेषित मांग पत्र दिनांक 16-03-2016 के संदर्भ में प्रबन्ध निदेशक हिमाचल पथ परिवहन निगम की अध्यक्षता में परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के प्रतिनिधियों के साथ 22.04.2016 को हुई बैठक में लिए गये निर्णयों की कार्यवाही का विवरण।		
श्रेणी क :- वह मुददे जिन पर निगम द्वारा अग्रिम कार्यवाही होनी है।		
	मांग	उत्तर
2	निगम में भर्ती व पदोन्नति ।	
i	परिचालाकों की तुरन्त भर्ती ।	परिचालक भर्ती का मामला विचाराधीन है व शीघ्र ही निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृत 500 पदों को भरा जाएगा ।
ii	सभी अनुबन्ध कर्मचारियों को पे बैण्ड प्लस ग्रेड पे वेतनमान पर रखा जाये	इस मामले पर विचार किया जायेगा ।
iii	पूर्व में नियुक्त हुए सभी कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तय अनुबन्ध निति में लाना	इस सम्बन्ध में मुख्य लेखा अधिकारी अतिरिक्त वितिय बोझ का आकलन करेगें व अगली बैठक में रिर्पोट प्रस्तुत करेगें।
iv	निश्चित नार्म आधार पर रिक्त पडे सभी श्रेणियों के पदों की भर्ती करना व आउटसोर्सिज आधार पर भर्ती पर रोक लगाना	निगम आपरेशनल पदों की भर्ती समय समय पर कर रहा है जहां तक अन्य पदों को भरने का मामला है इस पर प्रदेश सरकार द्वारा रोक लगाई गई है अपितु निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृत सभी श्रेणीयों के पदों को भरा जायेगा।
v	अनुबन्ध कर्मचारियों की मृत्यु पर आश्रितों को नौकरी का प्रावधान करना व किथ एण्ड किन के सभी लम्बित मामलों का निपटारा करना	अनुबन्ध कर्मचारियों की मृत्यु पर आश्रितों को नौकरी दी जा रही है । व किथ एण्ड किन के सभी लम्बित मामलों का निपटारा किया जा रहा है ।
vi	पदोन्नति के लिए कुछ श्रेणियों में लगाई गई 5 वर्ष की शर्त को पूर्व की तरह 3 वर्ष करना	पदोन्नति के लिए कुछ श्रेणियों में लगाई गई 5 वर्ष की शर्त को हटाने हेतू मामले पर कार्यकारी निदेशक विचार कर अगली बैठक में रिर्पोट प्रस्तुत करेंगे ।
vii	सभी श्रेणियों की एल.डी.आर. भर्ती पर तुरन्त रोक लगाई जाए	मामले पर कार्यकारी निदेशक विचार करके इसे पुनः सर्विस कमेटी में रखेंगे।
Viii	निगम में सेवानिवृति के बाद पुनः भर्ती पर रोक लगाई जाए ।	यह मामला प्रदेश सरकार के अधीन आता है व संगठन के विचारों को सरकार के समक्ष रखा जायेगा।
ix	बी.आर.एस. के तहत घटी निरीक्षकों के चार पदों को पुनः बहाल किया जाए ।	मामले को सर्विस कमेटी में रखा जायेगा।

3.	**वेतन विसगतियां व ग्रेड पे ।**	
i	तकनीकी, स्टोर और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के लम्बित भर्ती एवम पदोन्नति नियमों को तुरन्त संशोधित करके लागु किया जाए ।	इस मामले पर जे.सी.सी. द्वारा शेष बची सभी 61 श्रेणीयों के मामलों को कार्यकारी निदेशक के साथ विचार विमर्श करके रिर्पोट अगली बैठक में रखेंगे।
ii	20 वर्ष तक बिना पदोन्नति एक ही पद कार्य करने वाले सभी श्रेणी के कर्मचारियों को दो विशेष वृद्वि देना	20 वर्ष तक बिना पदोन्निती एक ही पद पर कार्य करने वाले चालक परिचालक व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दो विपेश वेतन वृद्वियां दे दी गई है व अन्य श्रेणीयों बारे विचार करने हेतू मुख्य लेखा अधिकारी अतिरिक्त वितिय बोझ का आकलन करके अगली बैठक में रिर्पोट प्रस्तुत करेगें।
iii	स्टोर स्टाफ को मिनिस्ट्रीयल स्टाफ में समायोजित करना ।	मामला विचाराधीन है।
iv	चालक/ परिचालको की डियूटी का आकलन मोटर कामगार अधिनियम के अनुसार किया जाये ।	चालक/ परिचालको की डियूटी का आकलन बारे क्षेत्रिय प्रबन्धक लोकल की अध्यक्षता में गठित कमेटी अपनी रिर्पोट 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करेगी।
4.	**लम्बित देय राशी ।**	
ii	वर्दी राशि की लिमिट मु0 3000/- व धुलाई भत्ता मु0 150/- करना ।	मामले को निदेशक मण्डल की बैठक में रखा जायेगा।
5	**बसों का इन्शोरेन्स ।**	
	निगम के सभी छोटे बडे वाहनों की इन्शोरेन्स की जाए ताकि वाहनों के तोड फोड व अन्य सभी प्रकार के कलेम सम्बन्धित कम्पनी से वसूली जा सके ।	यह मामला पहले ही विचाराधीन है व इस सम्बन्ध में इन्शोरेन्स कम्पनियों से मामला उठाया गया है यदि निगम हित में हुआ मामले पर कार्यवाही की जायेगी।
6	**जी.पी.एफ. टस्ट का दुरूपयोग ।** वर्तमान में निगम द्वारा जी.पी.एफ. से मु. 150/- करोड रूपये खर्च किए गये है उन्हें तुरन्त जी.पी. एफ. ट्रस्ट में जमा किया जाये ताकि कर्मचारियों को भविष्य में जी.पी.एफ. भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी न हो ।	यह सत्य है कि निगम द्वारा जी.पी.एफ. ट्रस्ट को मुबलिग 150 करोड का भुगतान करना है जिसमें 98 करोड मूल राशि है व 52 करोड ब्याज का है जिसे इस वर्ष से चरण वद्व तरीके से जी.पी.एफ. ट्रस्ट में जमा करवा दिया जायेगा तथा प्रदेश सरकार से भी यह मामला उठाया जायेगा।
7.	**टिकट लेने की जिम्मेवारी ।** बसों में टिकट लेने की जिम्मदारी यात्रियों की सुनिश्चित की जाये व इसे सर्वप्रथम ट्रायल पर शहरों के अन्दर लागु किया जाये जिससे अवैध यात्रा पर अकुंश व निगम राजस्व में बढौतरी होगी	मामले पर महा प्रबन्धक (यातायात)विचार करके एक सप्ताह में अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करेंगे।

8.	**निगम सम्पति व अवैध कब्जे ।**	
i	कर्मशालाओं की मुरम्मत व आधुनिकीकरण करना	मण्डलीय प्रबन्धक(तकनीकी) यह सुनिश्चित करेंगे कि निगम के कर्मशालाओं में बेकार पडे लोहे व अन्य कबाड व अनुउपयोगी कलपूर्जो का आकलन करके निलामी समय- समय की जाये व इससे प्राप्त राशि को कर्मशालाओं की मुरम्मत व चालक/ परिचालक विश्राम गृहों, आवासी कलोनियों तथा कार्यालयों की मुरम्मत पर खर्च किया जायेगा। व जहां तक निगम की सम्पतियों की निशानदेही करवाना, अवैध कब्जों को हटाना व उस पर तारबन्दी करना तथा निगम के सभी डिजल पम्पों का आधुनिकीकरण सम्बन्धित कम्पनीयों से करवाने हेतू महा प्रबन्धक (यातायात)/(प्राधिकरण) उचित पग उठायेंगें।
ii	चालक/ परिचालक विश्राम गृहों, आवासी कलोनियों तथा कार्यालयों की मुरम्मत समय-समय पर सुनिश्चित की जाये ।	
iii	निगम की सम्पतियों की निशानदेही करवाना, अवैध कब्जों को हटाना व उस पर तारबन्दी करना तथा निगम के सभी डिजल पर्पो का आधुनिकीकरण सम्बन्धित कम्पनीयों से करवाना निगम के कर्मशालाओं में वेकार पडे लोहे व अन्य कवाड की निलामी व अनुउपयोगी कलपूर्जो का आकलन करके सेल किया जाये ।	
9.	**निगम बसों में दी जा रही निशुल्क यात्रा सुविधा**	
i	वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के निगम की बसों में पहचान पत्रों पर उपलब्ध करवाई जा रही निशुल्क यात्रा के लिए उनके पहचान पत्रों को निगम द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य किया जाये ।	राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों को निगम की बसों में दी जा रही निशुल्क यात्रा के लिए जारी उनके पहचान पत्रों को निगम द्वारा ही सत्यापित किया जाता है केवल अक्षम व्यक्तियों व पुलिस कर्मियों के पहचान पत्र उनके विभागों द्वारा ही सत्यापित किये जाते है तथा महा प्रबन्धक यातायात सभी डिपुओं से निशुल्क यात्रा बारे रिर्पोट मंगवा कर आगामी बैठक में ब्यौरा रखेंगे।
10.	**अवैध बस संचालन पर रोक ।**	
ii	प्रदेश के सभी बस अडडों पर समय सारणी लगाई जाये ।	निगम ने प्रदेश के सभी बस अडडों पर समय सारणी लगाने के बारे निर्देश दिये जा चुके है।
iii	वैट लिजींगं पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाये और नई बस सेवा आरम्भ करने से पहले काउंटर टाईम लिया जाये ।	यह मामला निदेशक मण्डल के कार्यक्षेत्र में आता है व इस समय वैट लिजिंग पर बसें लेने का कोई विचार नही है।
11.	**काफ्रैस हाल ।** मुख्य कार्यालय में सभी प्रकार की बैठकों कम्पनियों द्वारा जानकारी व डेमोस्ट्रेशन व प्रैस वार्ता हेतु एक कांफ्रेन्स हाल बनाया जाये ।	कार्यकारी निदेशक के साथ वाले कमरे को देने बारे विचार किया जायेगा।
12.	**यातायात प्रबन्धकों की तैनाती ।** नगम के मुख्य बस अडडों व नियन्त्रण कक्ष में यातायात प्रबन्धकों की तैनाती की जाये ताकि	यातायात प्रबन्धकों को मुख्य बस अडडों पर तैनात किया जायेगा यदि उपलब्ध न हों तो मुख्य निरीक्षक/ निरीक्षक/उप-निरीक्षक की तैनाती की जायेगी यदि ये

	समय सारणी अनुसार बसों का प्रस्थान सुनिश्ति हो तथा बस असुविधाओं से सम्बन्धित मामलों का निपटारा तुरन्त हो सके । सभी बस अडडों पर मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक तैनात किये जाये ।	भी उपलब्ध न हों तो वरिष्ठ चालक व परिचालक को तैनात किया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक
हिमाचल पथ परिवहन निगम
शिमला–171003

परिवहन कर्मचारी संयुक्त समिति द्वारा प्रेषित मांग पत्र दिनांक 16-03-2016 के संदर्भ में प्रबन्ध निदेशक हिमाचल पथ परिवहन निगम की अध्यक्षता में परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के प्रतिनिधियों के साथ 22.04.2016 को हुई बैठक में लिए गये निर्णयों की कार्यवाही का विवरण।		
श्रेणी ख :- वह मुद्दे जिन पर सरकार द्वारा अग्रिम कार्यवाही होनी है।		
	मांग	उत्तर
1	**निगम को रोडवेज बनाया जाए** निगम कर्मचारियों की पैन्शन, मासिक वेतन, सरकार द्वारा घोषित वित्तीय लाभ व सेवानिवृति पर सभी देय राशि का एक मुश्त भुगतान करने के लिये बजट में प्रावधान किया जाये व 01-10-1974 को जारी की गई अधिसूचना को दृढता से लागू किया जाये ।	यह मामला पहले ही प्रदेश सरकार से उठाया जा चुका है व मामला सरकार के विचाराधीन है । अत: सरकार को पुन: स्मरण पत्र भेजा जाये तथा रोडवेज बनाने हेतू बनाई गई कमेटी से वर्तमान वस्तुस्थिति की रिर्पोट भी मांगी जाये। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि जे.सी.सी. व प्रबन्धन अपने अपने स्तर पर माननीय मुख्य मन्त्री व परिवहन मन्त्री से बैठक करवाने हेतू प्रयास करेंगे।
4.	**लम्बित देय राशी ।**	
i	निमग कर्मचारियों की लम्बित देया राशी जैसे अतिरिक्त समय भत्ता, मैडीकल बिल, सेवानिवृति राशी व अन्य सभी लम्बित देन-दारियों का एक मुश्त भुगतान करना	निगम की वितिय स्थिति ठीक न होने के कारण सभी देन दारियों का एक मुश्त भुगतान करना मुश्किल है व मामला प्रदेश सरकार से उठाया जा रहा है । फिर भी निगम आवश्यकता के अनुसार सभी देन दारियों का भुगतान चरण बद्व तरीके से कर रहा है ।
9.	**निगम बसों में दी जा रही निशुल्क यात्रा सुविधा ।**	
ii	निगम की बसों में पुलिस कर्मचारियों को पंजाव की तर्ज पर रियायती यात्रा सुविधा प्रदान की जाये ।	यह मामला पहले ही निगम द्वारा प्रदेश सरकार को केबिनेट में रखने हेतू भेजा गया है।
10.	**अवैध बस संचालन पर रोक ।**	
i	अवैध संचालन पर पुर्ण रोक लगाई जाये नये निजीरूट परिवहन निती के तहत ही दीये जाये ।	यह मामला निदेशक परिवहन के अन्तर्गत आता है व निदेशक परिवहन से इस बारे कई बार आग्रह किया जा चुका है।

प्रबन्ध निदेशक
हिमाचल पथ परिवहन निगम
शिमला–171003